

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल कालेज, जालौन एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्थित आपातकालीन, वाह्य रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग में 100-100 किलोवाट के सौर ऊर्जा विद्युत गृह (सोलर पावर स्टेशन) हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम०ई०/बजट/2018-19/892, दिनांक 13-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, जालौन एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्थित आपातकालीन, वाह्य रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग में 100-100 किलोवाट के सौर ऊर्जा विद्युत गृह (सोलर पावर स्टेशन) हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू० 452.15 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 50.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-67/2016/804/71-1-2016-जी-116/2016, दिनांक 28-03-2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में मेडिकल कालेज, जालौन एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्थित आपातकालीन, वाह्य रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग में 100-100 किलोवाट के सौर ऊर्जा विद्युत गृह (सोलर पावर स्टेशन) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 65.57 लाख (रू० पैंसठ लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- 2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- 3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
- 4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-55-राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-40/2019/908(1)/71-1-2019 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन।
- 4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जालौन।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
- 6- निदेशक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38-वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- नियोजन-अनुभाग-4
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव